आरईओ--173

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक:जेपीडी / मुअ(वाणिज्य) / अअ (आरई) / प.1201 / प्रे. 456 जयपुर,दिनांक 16/6/07

आदेश

समन्वय समिति की दिनांक 07--04--2007 को आयोजित 103वीं बैठक में कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित 31--12--2005) के बिन्दु संख्या 7 (iii) के तहत शहीद कोटे के अन्तर्गत एक कृषि कनेक्शन देने संबन्धित प्रचलित नियमों पर विस्तृत चर्चा कर लिए गये निर्णय की अनुपालना में आर.ई.ओ 168 एवं आर.ई.ओ 170 में आंशिक संशोधन करते हुए आदेश दिये जाते हैं कि :--

1-- शहीद कोटे में कनेक्शन तभी देय होगा जब शहीद की विधवा या आश्रित अथवा माता--पिता के नाम पर शहीद के मूल गांव या उससे संबन्धित पंचायत समिति या शहीद की विधवा के पीहर के मूल गांव या उससे सम्बन्धित पंचायत समिति में पुश्तैनी राजस्व भूमि हो --

अथवा

2-- राज्य सरकार द्वारा शहीद की विधवा या आश्रित माता--पिता को कही पर की गई आवंटित राजस्व भूमि पर ।

उपरोक्त शहीद कोटे का एक कृषि कनेक्शन जिला कलेक्टर / सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी द्वारा जारी शहीद होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा ।

यह निर्णय उन सभी आवेदनों पर भी लागू होंगे जिनके मांग पत्र (Demand Note) जारी हो चुके है ।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(बी.एल.अग्रवाल)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :--

1--उर्जा सचिव,राजस्थान सरकार,जयपुर ।
2--अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि,अजमेर एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जोधपुर को सूचनार्थ ।
3--मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य / पवस--जयपुर / कोटा जोन, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / कोटा ।
4--वित्तीय सलाहकार एवं लेखा नियन्त्रक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
5--प्रावेधिक सहायक,अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
6--अधीक्षण अभियन्ता (पवस / विधि जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.जयपुर ।
7--प्रावेधिक सहायक, राज्य मंत्री,उर्जा विभाग,विद्युत भवन,जयपुर ।